रेनू बेनीवाल और अन्य बनाम सारिका नेहरा बेनीवाल (जयश्री ठाकुर, जे.)

जयश्री ठाकुर, जे. के समक्ष

रेनू बेनीवाल व अन्य – याचिकाकर्तागण

बनाम

सारिका नेहरा बेनीवाल – उतरवादी

सीआरएम-एम-नंबर – 35333 आफ 2016 (ओ एंड एम)

20 अप्रैल 2018

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 शिकायत को रद्द करने के लिए याचिका - रखरखाव - याचिकाकर्ताओं को घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया - याचिकाकर्ता ने आपराधिक विविध याचिका में उक्त आदेश को चुनौती दी ---- याचिकाकर्ता ने वापस लेने की मांग की, तलाक की डिक्री अस्तित्व में आने के बाद उचित उपाय की तलाश के लिए याचिका दायर की गई, इस बीच मामले को खारिज करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया गया- ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए गए आवेदन में निहित शक्ति-याचिका को लागू करने के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कार्रवाई का नया कारण दिया गया।

यह माना गया कि यह आवेदन याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने के माध्यम से इस अदालत में जाने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण देते हुए खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिवादी के विरुद्ध दिया जाता है, यह मानते हुए कि यह याचिका सुनवाई योग्य है।

(पैरा 9)

ख. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973--एस.482--घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एस.एस. 2(एस), 2(एफ), 17, 18 और 19-- घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही। ----पीड़िता के साथ नहीं रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रखरखाव---प्रतिवादी को शिकायत बनाए रखने के लिए यह स्थापित करना होगा कि वह याचिकाकर्ता के ससुर और सास----प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में थी, सबसे पहले, पति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती थी, फिर भारत आने के बाद अपने माता-पिता के साथ रहती थी ---- प्रतिवादी फिर पति के साथ रहती थी ----- घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत चलने योग्य नहीं है और रद्द किये जाने योग्य है।

माना गया कि शिकायत में दिए गए उपरोक्त कथनों से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 घरेलू संबंध में प्रतिवादी के साथ कभी नहीं रहे या साथ नहीं रहे, जैसा कि घरेलु हिंसा की धारा 2 (एफ) में परिभाषित है। कार्यवाही करना। नतीजतन, घरेलु हिंसा के तहत शिकायत दर्ज की गई। यहां स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के खिलाफ अधिनियम बनाए रखने योग्य नहीं है। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के पक्ष में दिया जाता है। परिणामस्वरूप, डी वी अधिनियम के तहत दायर की गई शिकायत और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही, जिसमें आक्षेपित आदेश भी शामिल हैं, को याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के आधार पर रद्द किया जाता है।

(पैरा 15)

अमन बंसल अधिवक्ता -- याचिकाकर्ता की ओर से

संदीप कोटला, अधिवक्ता, उतरवादी की ओर से

जयश्री ठाकुर, जे

(1) तत्काल याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शिकायत संख्या घरेलु हिंसा /0000004/2014 दिनांक 27.03.2014 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, गुरूग्राम के समक्ष लंबित है, साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरूग्राम द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2015 के साथ-साथ दिनांक 27.03.2014, 01.12.2014 और 30.08.2016 के आदेश पासकर्ता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, गुडगांव द्वारा पारित आदेश को भी रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए दायर की गई है।

(2) संक्षेप में, शिकायत में बताए गए तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता (बाद में प्रतिवादी कहा जाएगा) ने विनीत बेनीवाल याचिकाकर्ता संख्या 3 और याचिकाकर्ता नं. 1 और 2 का बेटे के साथ अपना विवाह दिनांक 14.02.2004 को मुताबिक हिंदू संस्कार और समारोह के रूप में संपन्न किया। शादी के तुरंत बाद, प्रतिवादी और याचिकाकर्ता नं. 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वह ह्यूस्टन, टेक्सास में कार्यरत थे। विवाह के समय 5 लाख रुपये नकद दिए गए, जिसे उन्होंने अमेरिकी डॉलर में बदल दिया और उसके बाद ह्यूस्टन में एक संयुक्त घर खरीदने के लिए उपयोग किया। ह्यूस्टन में रहने के दौरान उसे पता चला कि उसका पति शराबी है और मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी को शारीरिक उत्पीड़न के साथ-साथ आर्थिक अभाव का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी सारी कमाई उसके पति

याचिकाकर्ता नंबर 3. द्वारा उपयोग की गई थी। यूएसए में रहते हुए प्रतिवादी ने 28.10.2009 को रियाना नाम की एक बेटी को जन्म दिया। दिसंबर 2012 में, प्रतिवादी याचिकाकर्ता संख्या 3 और उनकी बेटी के साथ भारत आये।. प्रतिवादी के आग्रह पर, याचिकाकर्ता सं. 3 ने फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव में एक मनोचिकित्सक से परामर्श किया, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता नं. 3 संभवतः 'बाइपोलर डिसऑर्डर' से पीड़ित था।. याचिकाकर्ता नं. 3 ने किसी भी इलाज से इनकार कर दिया और प्रतिवादी और उनकी बेटी को छोड़कर वापस संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। इसके बाद प्रतिवादी अपने माता-पिता के साथ गुरुग्राम में रहने लगी। याचिकाकर्ता नं. 2, विनीत बेनीवाल के पिता, अगस्त 2013 में अमेरिका चले गए और लौटने पर प्रतिवादी को सूचित किया कि याचिकाकर्ता नं. 3 ने स्थायी रूप से भारत वापस आने का फैसला किया था और वह रिस्पॉन्डनेट और नाबालिग बेटी के साथ भारत में ही रहेगा। याचिकाकर्ता नं. 3 ने पावर ऑफ अटॉर्नी स्थापित करने के लिए कहा ताकि संपत्तियों का निपटान किया जा सके। प्रतिवादी ने विधिवत पावर ऑफ अटॉर्नी भेजीं और प्रतिवादी और याचिकाकर्ता संख्या 1 की संयुक्त संपत्तियां को लगभग $2,00,000/- यानि लगभग रु. एक करोड़. में बेचा गया। याचिकाकर्ता नं. 3 भारत वापस आ गया और उसके बाद प्रतिवादी, वह नाबालिग बेटी के साथ संयुक्त रूप से फ्लैट नंबर 701, टावर 3 यूनिवर्ल्ड गार्डन सोहना रोड, गुड़गांव पर रहने लगा। इसके बाद ही प्रतिवादी को एहसास हुआ कि उसके पति याचिकाकर्ता संख्या 3 के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है और उसने धोखाधड़ी से संयुक्त संपत्तियों को बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवा ली थी क्योंकि उसने पूरी बिक्री आय का दुरुपयोग करना था। यह भी आरोप है कि मार्च 2014 में याचिकाकर्ता नं. 1 और 3 ने प्रतिवादी पर तलाक देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद, प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 संक्षेप में) की मांग करते हुए घरेलू हिंसा का मामला दायर किया। याचिकाकर्ता नं. 1 और 2 पेश हुए, जबकि किसी ने भी याचिकाकर्ता संख्या 3 के लिए उपस्थिति नहीं दी। दिनांक 01.12.2014 के एक आदेश द्वारा सिविल जज ने याचिकाकर्ताओं को वर्णित परिसर फ्लैट नंबर 701, टावर 3 यूनिवर्ल्ड गार्डन सोहना रोड, गुड़गांव में से प्रतिवादी को जबरन बेदखल करने से रोक दिया।

(3) उक्त आदेश से व्यथित होकर घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत एक अपील दायर की गई थी जिसे 02.06.2015 को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश से क्षुब्ध याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक विविध की

एम-**24095 आफ** 2015 **रेनू बेनीवाल और एक अन्य बनाम सारिका नेहरा बेनीवाल** को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध याचिका के लंबित रहने के दौरान, हैरिस कंट्री टेक्सास की जिला अदालत में दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद का समझौता हुआ और प्रतिवादी सारिका नेहरा बेनीवाल और विनीत बेनीवाल के बीच मध्यस्थता समझौता हुआ। 25.09.2015 को तलाक का आदेश जारी किया गया था, इसके बाद उच्च न्यायालय में कार्यवाही को 03.12.2015 को वापस ले लिया गया और कानून के अनुसार अन्य उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने तलाक का आदेश जारी होने के आधार पर शिकायत को खारिज करने की मांग करते हुए सिविल जज के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया। बर्खास्तगी से व्यथित, याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायत और उसके तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए तत्काल याचिका दायर की गई है।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमन बंसल ने कहा; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के समक्ष लंबित घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जहां तक कि प्रतिवादी और याचिकाकर्ता संख्या 3 विनीत बेनीवाल के बीच तलाक की डिक्री पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। तलाक के संदर्भ में, शिकायत के बाद संपत्ति का बंटवारा हो गया है - प्रतिवादी के पास एक वाणिज्यिक इकाई एफ-27, पहली मंजिल बानी स्क्वायर, सेक्टर 50, गुरुग्राम के साथ-साथ हुंडई वर्ना कार, कपड़े, आभूषण आदि हैं; वह याचिकाकर्ता नं. 1 और 2 का किसी भी समय, प्रतिवादी के साथ कोई घरेलू संबंध नहीं था और न ही वे किसी साझा घर में हैं; तलाक की कार्यवाही में हुए समझौते के संदर्भ में, याचिकाकर्ता नं. 1 ने 19.07.2016 को एफ-27, पहली मंजिल बानी स्क्वायर, सेक्टर -50, गुरुग्राम में एक वाणिज्यिक स्थान में आधे शेयर के उपहार का एक ज्ञापन निष्पादित किया है, हालांकि, इसे शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है; और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने दिसंबर, 2015 में राहुल गुप्ता से दोबारा शादी की है।

(5) इसके विपरीत, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संदीप कोटला का कहना है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता संख्या 3 के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है और इसलिए, घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत

कार्यवाही टिकाऊ है। यह भी तर्क दिया गया है कि यहां धन का दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि अमेरिका में संपत्तियों को धोखाधड़ी से बेचा गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता नं. 3 निम्न न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो रहा है तथा उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

(6) मैंने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के अलावा, पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

(7) इसके निर्धारण के लिए मुख्य रूप से चार प्रश्न उठेंगे:-

(i) क्या तत्काल याचिका सुनवाई योग्य है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने शुरू में आपराधिक विविध संख्या एम-24095 ऑफ 2015 में अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए इस अदालत से संपर्क किया था एवं उसी कार्यवाही को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया था?

(ii) क्या याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के खिलाफ घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही चलने योग्य है, चूँकि यह स्वीकार किया गया है कि वे प्रतिवादी के साथ नहीं रहते थे?

(iii) क्या शिकायतकर्ता-प्रतिवादी फ्लैट नंबर 701, टावर 3 यूनिवर्ल्ड गार्डन सोहना रोड, गुडगांव में रहने का हकदार होगा, जो उसके पति-याचिकाकर्ता संख्या 3 से संबंधित नहीं है?

(iv) क्या तलाक की डिक्री से पहले शुरू की गई घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही याचिकाकर्ता संख्या 3 के खिलाफ अभी भी कायम रहेगी] भले ही शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने बाद में दोबारा शादी कर ली हो?

(8) पहला प्रश्न, जिसे इस अदालत को संबोधित करना आवश्यक है, वह यह है कि क्या तत्काल याचिका विचारणीय है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने शुरू में आपराधिक विविध संख्या एम-24095 ऑफ 2015 में अपीलकर्ता अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए इस अदालत से संपर्क किया था। एवं उसी कार्यवाही को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया था? माना कि, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 को याचिकाकर्ता संख्या 3 के साथ उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में दिनांक 27.03.2014 के आदेशों को चुनौती देने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 01.12.2014 के आदेश के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया था, जिसके द्वारा उन्हें

शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को फ्लैट नंबर 701, टावर 3 यूनिवर्ल्ड गार्डन सोहना रोड, गुरुग्राम के रूप में वर्णित निवास से बेदखल करने से रोक दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरूग्राम के समक्ष अपील 02.06.2015 को खारिज कर दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 ने एक आपराधिक विविध संख्या एम-24095 ऑफ 2015 को **रेनू बेनीवाल और अन्य बनाम सारिका नेहरा बेनीवाल** नामक मामले में इसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी, जिसे कानून के अनुसार अन्य उपचारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था, खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने उक्त आपराधिक विविध याचिका को वापस लेने की मांग की, क्योंकि इस बीच 19.10.2015 को तलाक की डिक्री अस्तित्व में आ गई थी। उक्त आपराधिक विविध याचिका को वापस लेने के बाद याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 ने शिकायत को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी और याचिकाकर्ता संख्या 3 विनीत बेनीवाल के बीच सभी मामले का निपटान हो चुका था और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ भारत में चल और अचल दोनों संपत्तियों को आपस में बांट दिया गया था। शिकायत को खारिज करने का यह आवेदन दिनांक 30.08.2016 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके कारण तत्काल आपराधिक विविध याचिका दायर की गई।

(9) आपत्ति इस प्रकार उठाई गई कि तत्काल याचिका इस तथ्य के कारण विचारणीय नहीं होगी कि याचिकाकर्ता नं. 1 और 2 ने पहले ही इस अदालत से संपर्क किया था और अपने मामले को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया था, यह एक ऐसा तर्क है जो टिकाऊ नहीं है। याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 ने पिछली विविध याचिका में शिकायत के साथ-साथ दिनांक 01.12.2014, 27.03.2014 और 02.06.2015 के आदेशों को चुनौती दी थी, जबकि वर्तमान याचिका में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था। वे शिकायत के साथ-साथ दिनांक 27.03.2017, 01.12.2014 और 30.08.2016 के आदेशों को इस आधार पर चुनौती देना चाह रहे हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 3 और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को तलाक की डिक्री पहले ही दी जा चुकी है। अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां हैं। जिसका प्रयोग तब किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि आरोप निराधार हैं या जब किसी दिए गए परिस्थिति में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा। **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य** के मामले में, शीर्ष अदालत ने इस सिद्धांत को दोहराया है कि अदालत आपराधिक कार्यवाही को रद्द

करने के अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकती है, जब आयोग एफआईआर/शिकायत में किसी भी अपराध का और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप का खुलासा नहीं करते हैं। **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** के मामले में नवीनतम फैसले में, शीर्ष अदालत के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करते हुए, इस विषय पर उदाहरणों से उभरे व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

"(i) धारा 482 किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। प्रावधान नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में निहित हैं;

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट या किसी आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है, इस उद्देश्य के लिए क्षेत्राधिकार के आह्वान के समान नहीं है किसी अपराध को संयोजित करने का. किसी अपराध का शमन करते समय, न्यायालय की शक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। धारा 482 के तहत निरस्त करने की शक्ति तब भी लागू होती है, जब अपराध गैर-शमनयोग्य हो।

(iii) एक राय बनाने में कि क्या धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक आपराधिक कार्यवाही या शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग को उचित ठहराएंगे;

(iv) जबकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का दायरा व्यापक और प्रचुर है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए; (i) न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए;

(v) यह निर्णय कि क्या किसी शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद सुलझा लिया है, अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का कोई विस्तृत विवरण तैयार नहीं किया जा सकता है;

(vi) धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक दलील से निपटते समय कि विवाद का निपटारा हो गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक विकृति या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद सुलझा लिया हो।

सही मायने में ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते बल्कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में मुकदमा जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हित के सर्वोपरि तत्व पर आधारित है;

(vii) गंभीर अपराधों से अलग, ऐसे आपराधिक मामले भी हो सकते हैं जिनमें नागरिक विवाद का प्रबल या प्रमुख तत्व हो। जहां तक रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का सवाल है, वे एक अलग स्तर पर खड़े हैं;

(viii) वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या अनिवार्य रूप से नागरिक स्वाद वाले समान लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराधों से जुड़े आपराधिक मामले उचित परिस्थितियों में रद्द किए जा सकते हैं, जहां पार्टियों ने विवाद सुलझा लिया है;

(ix) ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि विवादकर्ताओं के बीच समझौते के मद्देनजर, दोषसिद्धि की संभावना दूर है और आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह पैदा होगा; और

(x) अभी भी प्रस्ताव (viii) में निर्धारित सिद्धांत की अपेक्षा है

(ix) उपरोक्त राज्य की वित्तीय और आर्थिक भलाई से जुड़े आर्थिक अपराधों के ऐसे निहितार्थ हैं जो निजी विवादों के बीच मात्र विवाद के क्षेत्र से परे हैं। जहां अपराधी किसी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुष्कर्म जैसी गतिविधि में शामिल हो, उसे रद्द करने से इनकार करना उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा। जिस कृत्य के बारे में शिकायत की गई है उसके परिणाम वित्तीय या आर्थिक व्यवस्था पर भारी पड़ेंगे।

इस उच्च न्यायालय ने भी **जसवीर कौर और अन्य बनाम मनप्रीत कौर**, सीआरएम-एम - 29792 ऑफ 2011 में 01.04.2015 को फैसला सुनाया और **अमित अग्रवाल और अन्य बनाम संजय अग्रवाल** और अन्य, सीआरएम-एम-36736 ऑफ 2014 में 31.05.2016 को फैसला सुनाया। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और घरेलु हिंसा के तहत दायर शिकायतों को रद्द कर दिया। उन्हें कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए कार्रवाई करें। इसी तरह, मौजूदा मामले में, इस अदालत के पास याचिका पर विचार करने और घरेलु हिंसा के तहत शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यदि यह पता चलता है कि उक्त शिकायत और कुछ नहीं, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो कार्रवाई करें। याचिकाकर्ताओं को आपराधिक विविध क्रमांक प्राप्त होने के बावजूद एम-24095 ऑफ़ 2015 को उचित उपाय

की तलाश के लिए वापस ले लिया गया, मानकर खारिज कर दिया गया, इस आधार पर मामले को खारिज करने के लिए एक आवेदन के साथ ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में तलाक का एक डिक्री जारी किया गया था, जिस डिक्री को अभी भी चुनौती नहीं दी गई है। किसी मुकदमे को अमान्य घोषित करने के लिए याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके इस अदालत से संपर्क करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण देते हुए यह आवेदन खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिवादी के विरुद्ध दिया जाता है, यह मानते हुए कि यह याचिका सुनवाई योग्य है।

(10) दूसरा प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता संख्या के खिलाफ घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही चलने योग्य है। चूँकि यह स्वीकार किया गया है कि वे प्रतिवादी 1 और 2 के साथ नहीं रहते थे,

(11) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया जब इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत विशेष प्रावधानों के बावजूद महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। विधायिका की राय थी कि घरेलू संबंधों में दुर्व्यवहार होता है, जो दहेज या किसी अन्य कारण से हो सकता है और महिलाओं को उस रिश्ते में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 'दुर्व्यवहार' शब्द को व्यापक अर्थ दिया गया, जो शारीरिक शोषण के अलावा यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलु हिंसा की धारा 2(एस) अधिनियम **"साझा परिवार"** शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित करता है;-

"'साझा घर' का मतलब एक ऐसा घर है जहां व्यक्ति अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू रिश्ते में रहता है या किसी भी स्तर पर रहता है और इसमें ऐसा घर भी शामिल है, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व या किरायेदार हो, या स्वामित्व में हो या उनमें से आठ लोगों द्वारा किराए पर लिया गया है, जिसके संबंध में या तो पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों के पास संयुक्त रूप से या सांकेतिक रूप से कोई अधिकार, शीर्षक, हित या इक्विटी है और इसमें ऐसा घर शामिल है जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है, जिसका प्रतिवादी सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा घर में कोई अधिकार, स्वामित्व या अंतर्संबंध हो।"

(12) घरेलु हिंसा की धारा 2 (एफ) अधिनियम, **"घरेलू संबंध"** शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित करता है;

"घरेलू संबंध" का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी भी समय साझा घर में एक साथ रहते हैं या रहते हैं, जब वे सजातीयता, विवाह, या विवाह, गोद लेने की प्रकृति के रिश्ते के माध्यम से संबंधित होते हैं या होते हैं। परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं"

(13) घरेलु हिंसा की धारा 17. अधिनियम साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है, जो इस प्रकार है;-

17. साझा घर में रहने का अधिकार-

"1. वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, घरेलू रिश्ते में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, चाहे उसके पास इसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या लाभकारी हित हो या न हो।

2. पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्रतिवादी द्वारा साझा घर या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बाहर नहीं किया जाएगा।"

(14). इसके अलावा, घरेलु हिंसा की धारा 19 अधिनियम निम्नानुसार बताता है;

"19.निवास आदेश:-

1. धारा 12 की उपधारा (1) के तहत किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, निवास आदेश पारित कर सकता है-

ए. प्रतिवादी को साझा घर से पीड़ित व्यक्ति को बेदखल करने या किसी अन्य तरीके से उसके कब्जे में गड़बड़ी करने से रोकना, चाहे प्रतिवादी का साझा घर में कानूनी या न्यायसंगत हित हो या नहीं;

बी. प्रतिवादी को स्वयं को साझा घर से बाहर निकालने का निर्देश देना;

सी. प्रतिवादी या उसके किसी रिश्तेदार को साझा घर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है;

रेनू बेनीवाल और अन्य बनाम सारिका नेहरा बेनीवाल (जयश्री ठाकुर, जे.)

डी. प्रतिवादी को साझा घर को अलग करने या उसका निपटान करने या उस पर कब्ज़ा करने से रोकना;

इ. प्रतिवादी को मैजिस्ट्रेट की अनुमति के अलावा साझा घर में अपने अधिकारों का त्याग करने से रोकना; या

एफ. प्रतिवादी को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर का वैकल्पिक आवास सुरक्षित करे जैसा कि उसे साझा घर में मिलता था या यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो उसके लिए किराया भी दे।"

(15) मौजूदा मामले में, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के खिलाफ शिकायत बनाए रखने के लिए यह स्थापित करना होगा कि वह याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के साथ घरेलू संबंध में थी। अपनी दलीलों के अनुसार, प्रतिवादी 1 और 2 अपनी शादी के बाद अपने पति विनीत बेनीवाल, याचिकाकर्ता संख्या 3 के साथ यहाँ अमेरिका में रहती थी, वह भारत वापस आ गई और अपने माता-पिता के साथ गुरुग्राम में रहने लगी और उसके बाद 2013 में अपने पति और बेटी के साथ फ्लैट नंबर 701, टावर 3 यूनिवर्ल्ड गार्डन सोहना रोड, गुरुग्राम में रहने लगी। घरेलु हिंसा के तहत प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत का अवलोकन। अधिनियम और प्रतियों का ज्ञापन स्वयं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता नं. 1 और 2 मेरठ, यूपी के निवासी हैं। शिकायत के पैरा संख्या 17, 25 और 29 इस संबंध में प्रासंगिक होंगे, जो निम्नानुसार हैं;

"17. भारत में रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1 ने नौकरी करने से इनकार कर दिया और सुबह से रात तक शराब पीता था। प्रतिवादी नंबर 2 और 3 जो अन्यथा मेरठ में रहते थे, अक्सर गुडगांव जाते थे और अपनी नौकरी छोड़ने के बजाय बेटा यानी प्रतिवादी नंबर 1 समझता है कि आवेदक को खुद ही स्थिति से निपटने के लिए कहता था।

25. कि आवेदक अपनी बेटी रियाना के साथ गुडगांव में अकेली रह रही है और प्रतिवादी संख्या 1 के स्वभाव और व्यवहार को जानती है। जो वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ मेरठ में है, आवेदक को उसे और उसकी बेटी को चोट लगने या शारीरिक नुकसान होने का डर है क्योंकि वह आवेदक और उसकी बेटी को फ्लैट की बालकनी से फेंकने या किसी अन्य माध्यम से नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने में सक्षम है।.

29. हालांकि आवेदक और उसकी बेटी अमेरिकी मूल के हैं। नागरिक लेकिन वे अब स्थायी रूप से भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में गुड़गांव में रह रहे हैं और वर्तमान में अक्टूबर, 2013 से फ्लैट नंबर 701, टावर-3, यूनीवर्ल्ड गार्डन, सोहना रोड, गुड़गांव में रह रहे हैं जो उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 के स्वामित्व वाली एक संयुक्त संपत्ति है।"

इसलिए, शिकायत में दिए गए उपरोक्त कथनों से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नं. 1 और 2 , जैसा कि घरेलु हिंसा की धारा 2 (एफ) में परिभाषित है, घरेलू संबंध में प्रतिवादी के साथ कभी नहीं रहे या साथ नहीं रहे, कार्यवाही करना। नतीजतन, घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत दायर शिकायत स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के पक्ष में दिया जाता है। परिणामस्वरूप, घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत दायर की गई शिकायत और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही, जिसमें आक्षेपित आदेश भी शामिल हैं, को याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के आधार पर रद्द किया जाता है।

(16). तीसरा प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या शिकायतकर्ता-प्रतिवादी फ्लैट नंबर 701, टावर 3, यूनीवर्ल्ड गार्डन, सोहना रोड, गुड़गांव में रहने का हकदार होगा।, जो उसके पति-याचिकाकर्ता नंबर 3 का नहीं है? माना कि फ्लैट नं. 701, टॉवर 3, यूनीवर्ल्ड गार्डन, सोहना रोड, गुड़गांव जिसमें प्रतिवादी रहती है, उसका स्वामित्व उसके पति विनीत बेनीवाल, याचिकाकर्ता संख्या 3 के पास नहीं है। वास्तव में, उक्त फ्लैट याचिकाकर्ता संख्या 2- डॉ. सुरेंद्र पाल सिंह का है। यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी ने अमेरिका से लौटने पर याचिकाकर्ता संख्या 2 के उक्त फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। अपने पति के साथ शादी टूटने के बाद याचिकाकर्ता नं. 3 अमेरिका चले गए, जबकि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी उक्त घर में ही रहे। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने ए**स.आर. बत्रा और अन्य बनाम तरूणा बत्रा** (सुप्रा) ने घरेलु हिंसा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अलावा, **"साझा घर"** की परिभाषा पर विस्तार से चर्चा की है। इसी तरह का एक सवाल यह भी उठा कि क्या एक घर, जो विशेष रूप से प्रतिवादी की सास का था, जिसमें वह अपनी शादी के बाद केवल कुछ समय के लिए अपने पति के साथ रहती थी, धारा 2 (एस). के तहत "साझा घर" के दायरे में आता है। घरेलु हिंसा कार्यवाही करना। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि 'जिस घर की बात हो रही है वह प्रतिवादी की सास का है। यह उसके पति का नहीं है. इसलिए प्रतिवादी उस घर में रहने के किसी

रेनू बेनीवाल और अन्य बनाम सारिका नेहरा बेनीवाल (जयश्री ठाकुर, जे.)

अधिकार का दावा नहीं कर सकता। भारत में ब्रिटिश मैट्रिमोनियल होम्स एक्ट, 1967 जैसा कोई कानून नहीं है और किसी भी मामले में, किसी भी कानून के तहत जो अधिकार उपलब्ध हो सकते हैं वे केवल पति के खिलाफ हो सकते हैं, ससुर या मां के खिलाफ नहीं-' प्रतिवादी के लिए वकील श्रीमती तरुणा बत्रा ने कहा था कि साझा घर की परिभाषा में वह घर शामिल है जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर घरेलू रिश्ते में रह चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि प्रतिवादी अतीत में प्रश्नगत संपत्ति में रह चुकी है, इसलिए उक्त संपत्ति उसका साझा घर है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नानुसार कहा है;-

"25. हम इस निवेदन से सहमत नहीं हो सकते।

26. यदि उपरोक्त निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि जहां भी पति-पत्नी अतीत में एक साथ रहते थे, वह संपत्ति साझा घर बन जाती है। यह बहुत संभव है कि पति-पत्नी दर्जनों स्थानों पर एक साथ रहे हों। पति के पिता, पति के दादा-दादी, उसके नाना-नानी, उसके चाचा-चाची, भाई, बहन, भतीजे, भतीजी आदि के साथ यदि प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये सभी पति के रिश्तेदारों के घर होंगे। साझा घर और पत्नी अपने पति के रिश्तेदारों के इन सभी घरों में रहने पर जोर दे सकती है, केवल इसलिए क्योंकि वह अपने पति के साथ उन घरों में कुछ समय के लिए रही थी। ऐसा दृश्य अराजकता फैलाएगा और बेतुका होगा।

27. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी व्याख्या जो बेतुकेपन की ओर ले जाती है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

28. प्रतिवादी के वकील विद्वान श्रीमती तरुणा बत्रा ने अधिनियम की धारा 19 (1) (एफ) पर भरोसा किया है और दावा किया है कि उन्हें वैकल्पिक आवास दिया जाना चाहिए, हमारी राय में, वैकल्पिक आवास का दावा केवल पति के खिलाफ किया जा सकता है, ससुराल वालों या अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं।

29. अधिनियम की धारा 17 (1) के संबंध में, हमारी राय में पत्नी केवल साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है, और 'साझा घर' का मतलब केवल पति का या उसके द्वारा किराए पर लिया गया घर होगा, या वह

घर जो संयुक्त परिवार का है, जिसका पति सदस्य है। वर्तमान मामले में विचाराधीन संपत्ति अमित बत्रा की है, न ही उन्होंने इसे किराए पर लिया था और न ही यह संयुक्त परिवार की संपत्ति है, जिसके पति अमित बत्रा सदस्य हैं। यह अपीलकर्ता संख्या 2 अमित बत्रा की मां की विशिष्ट संपत्ति है। इसलिए इसे आरएस नहीं कहा जा सकता। साझा गृहस्थी'।

30. निस्संदेह, अधिनियम की धारा 2(एस) में 'साझा गृहस्थी' को रुपये की परिभाषा में बहुत खुशी से नहीं कहा गया है, और यह अनाड़ी प्रारूपण का

परिणाम प्रतीत होता है, लेकिन हमें इसे एक ऐसी व्याख्या देनी होगी जो समझदार हो और जिससे समाज में अराजकता पैदा न हो।

31. उपरोक्त के मद्देनजर, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जाता है और श्रीमती तरुणा बत्रा के निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज करने वाले वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया है। कोई लागत नहीं।"

(17) **एस.आर. बत्रा** के मामले (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात का बाद में विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्णयों की श्रृंखला में पालन किया गया, जैसे कि हाशिर बनाम शिमा में केरल उच्च न्यायालय द्वारा, **वी.पी. अनुराधा**, **बनाम एस. सुगंधा और अन्य उच्च** में मद्रास न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **हरीश चंद टंडन बनाम दर्पण टंडन और अन्य**।

(18) हाथ में आये प्रकरण में फ्लैट नं. 701, टावर 3 यूनिवर्ल्ड गार्डन सोहना रोड, गुडगांव जिसमें प्रतिवादी रह रहा है, उसका स्वामित्व याचिकाकर्ता संख्या 2- डॉ. सुरेंद्र पाल सिंह यानी उनके ससुर के पास है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता नं. 2 डॉ. सुरेंद्र पाल सिंह ने पहले से ही अपने पति के साथ प्रतिवादी की अस्वीकृति के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिस मुकदमे को सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गुरुग्राम ने अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 19.12.2017 और प्रतिवादियों द्वारा डिक्री कर दिया है। उक्त मुकदमे (अर्थात शिकायतकर्ता-प्रतिवादी) को निर्णय पारित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त संपत्ति का खाली कब्जा वादी (अर्थात् याचिकाकर्ता संख्या 2) को सौंपने का निर्देश दिया गया है। 10.04.2015 से 09.08.2015 तक की अवधि के किराये के बकाया के अलावा कुल राशि रु.

5,44,000/- फाइलिंग की तारीख से उसकी प्राप्ति तक 6% ब्याज के साथ। **एस.आर. बत्रा** के मामले में (सुप्रा) में, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से माना गया है कि पत्नी केवल साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है और साझा घर का मतलब पति से संबंधित या किराए पर लिया गया घर होगा, या वह घर जो संयुक्त परिवार का हो जिसका पति सदस्य हो। केवल पत्नी और उसके पति के अन्य संबंधों के बीच घरेलू संबंध के अस्तित्व के कारण, पत्नी के लिए उस घर में निवास का दावा करने का मामला नहीं बनता, जो विशेष रूप से पति के रिश्तेदारों का था।

(19). पूर्वगामी चर्चा और **एस.आर. बत्रा** के मामले (सुप्रा) में में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित कानून के अनुपात को ध्यान में रखते हुए। इस अदालत द्वारा गठित तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ दिया गया है। विचाराधीन घर, विशेष रूप से याचिकाकर्ता संख्या 2 (ससुर-ससुर), का है। इसे घरेलु हिंसा की धारा 2(एस) के दायरे में **"साझा घर"** नहीं कहा जा सकता। इसलिए, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को उक्त फ्लैट में रहने का कोई अधिकार नहीं है और अदालत द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। उसे बेदखल करना स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2014 के साथ-साथ निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2015 को रद्द कर दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को संबंधित फ्लैट से बेदखल करने से रोक दिया गया है।

(20) आखिरी और चौथा सवाल, जिसका जवाब इस अदालत को देना है, वह यह है कि क्या घरेलु हिंसा के तहत कार्यवाही चल रही है? तलाक की डिक्री से पहले शुरू किया गया अधिनियम अभी भी याचिकाकर्ता संख्या 3, के खिलाफ कायम रहेगा। भले ही शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने बाद में दोबारा शादी कर ली हो? **अमित अग्रवाल** (सुप्रा) मामले में दिया गया निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग-अलग होगा, क्योंकि घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत को तलाक की डिक्री दिए जाने के बाद प्राथमिकता दी गई थी, जबकि मौजूदा मामले में तलाक शिकायत मामले के दाखिल होने के बाद हुआ था। इस अदालत का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि चूंकि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि वह याचिकाकर्ता संख्या 3 के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी और तथ्य का एक विवादित प्रश्न होने के कारण इसका उत्तर ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी भी तरह से दिया जा सकता है, दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य दिए जाने के बाद, भले ही प्रतिवादी ने बाद में कथित तौर पर शादी कर ली

हो। एक निवेदन यह भी किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई तलाक की डिक्री की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, जहां तक कि फ्लैट का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता संख्या 3 के खिलाफ आरोपों के संबंध में प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत को इस स्तर पर रद्द नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता संख्या 3 के विरुद्ध दिया जाता है।

(21) हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल शिकायत 2014 से लंबित है, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह कार्यवाही को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त करे, अधिमानतः इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर।

(22) तदनुसार याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

रघवीर सिंह ट्रांसलेटर